

**FORM No III**






**फर्द अहकाम**

**( नियम 26 )**

**अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर**

**बरकत अली वगैराह बनाम निजामुद्दीन वगैराह**

**किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए मु0न0 98 / 2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31.07.2025	<p>वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए के जरिये अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया। वाद पत्र पर वादी के अभिभाषक को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को रजि0 एडी0 तलवाना/नोटिस पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 07.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>सहायक कलक्टर (मु0)</b>  <b>अजमेर</b> </p> <p>आज दिनांक 07.10.25 को जिला/राज्य बार एसोसिएशन ने अज कार्य स्थगित रखा गया है। पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही की पालना में दिनांक 08.10.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">             आदेशानुसार    <b>न्यायालय पेशकार (रीडर)</b>  <b>सहायक कलक्टर(मु.) अजमेर</b> </p> <p>वकील वादीगण/वकील सं0 1 उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रफिना-पत्र वादक शीघ्र सुनवाई एवं विद्वान हेतु पट पत्रावली हमारे तलब करने पट काज हमारे समक्ष पेश हुई। वकील वादीगण ने प्रफिना-पत्र के वकिल तर्कों से वादक करते हुए कहा कि वादीगण इन प्रकरणों को वापिस लेकर विद्वान करवा चाहते हैं एवं वाद को हटा चलाना नहीं चाहते हैं। अतः मूल वाद जारी विद्वान स्वारिक करने से अनुमति प्रदान करवें। वकील वादी सं0 1 ने कहा कि पट सुटि के हस्ताक्षर हैं। वकील वादीगण ने इन ही पहचान के आदेशिका पट के हस्ताक्षर हैं।</p> <p>हमने प्रफिना-पत्र तर्कों पट ह्यानपूर्वक जनन विद्वान एवं विद्वान/पत्रावली का इकतेजन है। वकील वादीगण प्रकरणों विद्वान करवा चाहते हैं एवं प्रकरण को हटा चलाना चाहते हैं। अतः वकील वादीगण का प्रफिना-पत्र स्वीकृत किया जाकर मूल वाद विद्वान कर लिये जाने से जारी विद्वान स्वारिक किया जाता है। पत्रावली केरुलकुमाट हेतु तलब करने कम हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर</b> </p>	<p style="text-align: right;">   <b>Subscribed By Me.</b>    <b>17/10/25</b> </p>

17/10/25